

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 351 सन 2022

अनवान :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रमेश कुमार पुत्र रणजीतसिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जिदंर पाल सुथार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रोहिताश पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. जमना पत्नी रणजीत उर्फ जिताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री रणजीत उर्फ जिताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. सरबती पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. चावली पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 17/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 58/59 की कुल 1.7710 हैक् व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 4.9850 हैक् व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 36/33 की कुल 1.4030 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी हनुमान प्रसाद का पिता है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के एक पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम का भी देहान्त हो चुका है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम एव उसके पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम के देहान्त होने पर दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी संख्या 3 की बहन है व मृतक रणजीत उर्फ जिताराम की पुत्री है एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी संख्या 1 ,2 की बहन है एव दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/माता वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम जो वादी संख 1,2 का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है को उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के एक पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम का भी देहान्त हो चुका है इसलिये दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।


प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 58/59 की कुल 1.7710हैक् व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 4.9850हैक् व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 36/33 की कुल 1.4030हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी हनुमान प्रसाद का पिता है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के एक पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम का भी देहान्त हो चुका है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम एवं उसके पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम के देहान्त होने पर दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी संख्या 3 की बहन है व मृतक रणजीत उर्फ जिताराम की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी संख्या 1,2 की बहन है एवं दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/माता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति


उपरखण्ड अधिकारी
नोहर

/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकती है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 58/59 की कुल 1.7710 हैक व रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 63/62 की कुल 4.9850 हैक व रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 36/33 की कुल 1.4030 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में उनके पूर्वज दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम व उसके पुत्र रणजीत उर्फ जिताराम का भी देहान्त हो गया है इसलिये दुला उर्फ दुलाराम पुत्र रावताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है



वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 58/59 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 3 की 0.240 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 की 0.253 है0, 9 के मिन दक्षिण की 0.158 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 1 की 0.253 है0, 2 की 0.253 है0, 9 के मिन उत्तर की 0.095 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 4 की 0.240 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7 की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 63/62 के कुल खसरे 29 का कुल क्षेत्रफल 4.9850 है0 भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 312/369 (59) के किला नं. 8 के मिन दक्षिण की 0.044 है0, 13 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 24 की 0.253 है0 भूमि व प0 नं0 319/372 व 1/2 की 0.127 है0, 2/1 की 0.025 है0, गै0 मु0 खाला, 2/3 की 0.126 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज किया जावे तथा प0 नं0 312/369 (59) के किला नं. 19 के मिन दक्षिण की 0.215 है0, 20 मिन दक्षिण की 0.215 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 311/369 (58) 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.227 है0 व प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 16/1 की 0.1140 है0, 16/2 की 0.013

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 17/1 की 0.1270 है 0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 व 0 हि 0 व 0 दर्ज की जावे व प 0 नं 0 319/372 (92) के किला नं. 19/1 की 0.127 है 0, 20/1 की 0.127 है 0, 21/1 की 0.063 है 0, 22/2 की 0.063 है 0 व प 0 नं 0 312/369 (59) के किला नं. 9 की 0.253 है 0, 10 की 0.253 है 0, 11 की 0.253 है 0 12 की 0.253 है 0, 19 मिन उत्तर की 0.038 है 0, 20 मिन उत्तर की 0.038 है 0, 8 मिन उत्तर की 0.209 है 0 भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 के एनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 के खाता संख्या 36/33 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 1.4030 है 0 भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजन किया जाकर प 0 नं 0 325/375 (59) के किला नं. 4/1 की 0.009 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 4/2 की 0.080 है 0, 5/1 की 0.026 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 5/2 की 0.227 है 0, 6 की 0.088 है 0, 7 के मिन पश्चिम की 0.013 है 0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के व 0 हि 0 व 0 दर्ज की जावे व प 0 नं 0 325/375 (59) किला नं. 3/1 की 0.026 है 0, 3/2 की 0.227 है 0, 4/1 की 0.016 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 4/2 के मिन पश्चिम की 0.148 है 0, 7 मिन पश्चिम की 0.025 है 0, 8 की 0.012 है 0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के व 0 हि 0 व 0 दर्ज की जावे व प 0 नं 0 325/375 (59) के किला नं. 1/1 की 0.026 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 1/2 की 0.227 है 0, 2/1 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता, 2/2 की 0.228 है 0 भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपस्थान अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रमेश कुमार पुत्र रणजीतसिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जितेंद्र पाल सुथार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रोहिताश पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. जमना पत्नी रणजीत उर्फ जिताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री रणजीत उर्फ जिताराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. सरबती पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. चावली पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री दुलाराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 351 सन 2022 निर्णय दिनांक- 17/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 58/59 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 3 की 0.240 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 की 0.253 है0, 9 के मिन दक्षिण की 0.158 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 1 की 0.253 है0, 2 की 0.253 है0, 9 के मिन उत्तर की 0.095 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व प0 नं0 322/376 (13) के किला नं. 4 की 0.240 है0 व 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7 की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 63/62 के कुल खसरे 29 का कुल क्षेत्रफल 4.9850 है0 भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 312/369 (59) के किला नं. 8 के मिन दक्षिण की 0.044 है0, 13 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0, 18 की 0.253 है0, 24 की 0.253 है0 भूमि व प0 नं0 319/372 व 1/2 की 0.127 है0, 2/1 की 0.025 है0, गै0 मु0 खाला, 2/3 की 0.126 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज किया जावे तथा प0 नं0 312/369 (59) के किला नं. 19 के मिन दक्षिण की 0.215 है0, 20 मिन दक्षिण की 0.215 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 311/369 (58) 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.227 है0 व प0 नं0 318/372 (93) के किला नं. 16/1 की 0.1140 है0, 16/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17/1 की 0.1270 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ब० हि० ब० दर्ज की जावे व प० नं० 319/372 (92) के किला नं. 19/1 की 0.127 है०, 20/1 की 0.127 है०, 21/1 की 0.063 है०, 22/2 की 0.063 है० व प० नं० 312/369 (59) के किला नं. 9 की 0.253 है०, 10 की 0.253 है०, 11 की 0.253 है० 12 की 0.253 है०, 19 गिन उत्तर की 0.038 है०, 20 गिन उत्तर की 0.038 है०, 8 गिन उत्तर की 0.209 है० भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बन्ध 2076-2079 के खाता संख्या 36/33 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 1.4030 है० भूमि में मृतक दुलाराम उर्फ दुला का नाम कलमजान किया जाकर प० नं० 325/375 (59) के किला नं. 4/1 की 0.009 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की 0.080 है०, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.227 है०, 6 की 0.088 है०, 7 के गिन पश्चिम की 0.013 है० भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व प० नं० 325/375 (59) किला नं. 3/1 की 0.026 है०, 3/2 की 0.227 है०, 4/1 की 0.016 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 के गिन पश्चिम की 0.148 है०, 7 गिन पश्चिम की 0.025 है०, 8 की 0.012 है० भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व प० नं० 325/375 (59) के किला नं. 1/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.227 है०, 2/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.228 है० भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट...टोपरिया...